

अध्याय- 2

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक
उत्पादन एवं बजटीय परिणाम

अध्याय-2

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक उत्पादन एवं बजटीय परिणाम

2.1 यह अध्याय कोयला मंत्रालय के गैर-योजनागत और योजनागत बजट से संबंधित है। बजट अनुमान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

बजट अनुमान के ब्यौरे

क. बजटीय सहायता/वसूली का ब्यौरा		(करोड़ रु. में)								
	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	2010-11 (बजट)			2010-11 (संशोधित)			2011-12 (बजट)		
		योजना	गैर-योजना	जोड़	योजना	गैर-योजना	जोड़	योजना	गैर-योजना	जोड़
	राजस्व									
1	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	0.45	13.15	13.60	0.45	13.15	13.60	0.45	13.71	14.16
2	श्रम और रोजगार कोयला खान श्रमिक कल्याण									
	कोयला खान पेंशन योजना /जमा संबद्ध बीमा योजना को अंशदान	0.00	28.70	28.70	0.00	28.70	28.70	0.00	28.70	28.70
	कोयला और लिग्नाइट									
3	कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया)	135.00	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	121.11	0.00	121.11
4	कोलफील्ड क्षेत्रों में यातायात आधारभूत संरचना का विकास (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया)	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00
5	अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.62	0.00	10.62
6	क्षेत्रीय अन्वेषण	68.00	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	62.17	0.00	62.17
7	विस्तृत ड्रिलिंग	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	99.22	0.00	99.22
8	पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	50.58	0.00	50.58
9	कोयला नियंत्रक	0.25	5.85	6.10	0.25	5.81	6.06	0.25	6.31	6.56
	जोड़-कोयला और लिग्नाइट	375.25	5.85	381.10	375.25	5.81	381.06	365.95	6.31	372.26
10	पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए एकमुश्त प्रावधान	24.30	0.00	24.30	24.30	0.00	24.30	26.60	0.00	26.60
11	टीएसपी के लिए एकमुश्त प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00
	जोड़ (राजस्व) पूंजी	400.00	47.70	447.70	400.00	47.66	447.66	420.00	48.72	468.72

	कोयलाधारी क्षेत्र अधिग्रहण निधि से कोयला धारी क्षेत्रों के अधिग्रहण पर किया गया व्यय अधिग्रहण निधि									
12	10.01 कोयलाधारी क्षेत्रों का अधिग्रहण	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00
13	10.02 कोयलाधारी क्षेत्र अधिग्रहण निधि से पूरे किये गये व्यय को घटाकर अधिग्रहण निधि	0.00	-30.00	-30.00	0.00	-30.00	-30.00	0.00	-30.00	-30.00
	कुल (पूँजी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (क)	400.00	47.70	447.70	400.00	47.66	447.66	420.00	48.72	468.72

ख.		बजटीय सहायता	आईई बीआर	जोड़	बजटीय सहायता	आईई बीआर	जोड़	बजटीय सहायता	आईई बीआर	जोड़
	सरकारी उद्यमों में योजनागत निवेश									
13	कोल इंडिया लिमिटेड	0.00	2900.00	2900.00	0.00	3100.00	3100.00	0.00	9800.00	9800.00
14	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि.	0.00	580.57	580.57	0.00	633.94	633.94	0.00	1334.93	1334.93
15	नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (खान)	0.00	524.09	524.09	0.00	386.40	386.40	0.00	313.94	313.94
15.1	नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (विद्युत)	0.00	1369.75	1369.75	0.00	844.94	844.94	0.00	1669.52	1669.52
15.2	नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड (जोड़)	0.00	1893.84	1893.84	0.00	1231.34	1231.34	0.00	1983.46	1983.46
16	जोड़ (कोयला और लिग्नाइट पर पीई में निवेश)	0.00	4004.66	4004.66	0.00	4120.34	4120.34	0.00	11448.87	11448.87
17.	जोड़(विद्युत पर पीई में निवेश)	0.00	1369.75	1369.75	0.00	844.94	844.94	0.00	1639.52	1369.52
18.	जोड़ (ख) (कोयला मंत्रालय का सार्वजनिक उद्यमों में योजनागत निवेश)	0.00	5374.41	5374.41	0.00	4965.28	4965.28	0.00	13118.39	13118.39
19	कुल - योजना परिव्यय (कोयला मंत्रालय) (क +ख)	300.00	5374.41	5674.41	260.00	4965.28	5225.28	400.00	13118.39	13518.39

2.2 48.72 करोड़ रू. के गैर-योजना बजट (2011-12) में मुख्य रूप से सचिवालय (आर्थिक सेवाएं), कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 के तहत तैयार कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के तहत सांविधिक रूप से अपेक्षित सरकारी अंशदानों का भुगतान शामिल है। इसके अतिरिक्त, कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत कोयलाधारी क्षेत्रों के अधिग्रहण के वास्ते मुआवजे के भुगतान हेतु 30.00 करोड़ रू. की राशि रखी गई है। तथापि, चूंकि अधिगृहीत भूमि सीआईएल की सहायक कम्पनियों की सम्पत्तियां हो जाती हैं, इसलिए सीआईएल भारत सरकार (कोयला मंत्रालय) के पास निधि जमा करती है और कोयला मंत्रालय सहायक कम्पनियों द्वारा भूवंचितों को इसे रिलीज करने के लिए सहायक कम्पनियों के माध्यम से मुआवजे की राशि जारी करती है। मुआवजे की इस रिलीज से सरकार से कोई नकदी निकासी नहीं होती है। गैर-योजना बजट को आपूर्ति उत्पादन से नहीं जोड़ा जा सकता है।

2.3 योजना परिव्यय 2011-12 में, (i) क्षेत्रीय अन्वेषण (62.17 करोड़ रू.), ईएमएससी (50.58 करोड़ रू.), अनुसंधान और विकास (एस. एण्ड टी.) (10.62 करोड़ रू.) और विस्तृत ड्रिलिंग (99.22 करोड़ रू.) कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा (121.11 करोड़ रू.) और कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास (22.00 करोड़ रू.) का प्रावधान किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 0.45 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है। विशेष रूप से डिजिटल इमेजिंग साल्यूशन्स की जरूरत को पूरा करने के लिए अधिक आई.टी. उपकरण मुहैया करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि अधिकाधिक कार्य आई.टी. के माध्यम से हो। अधिक से अधिक आनलाईन कार्यात्मक वातावरण तैयार करने के लिए मंत्रालय की आई.टी. अवसंरचना को और मजबूत करने के लिए भी बजट प्रावधान का उपयोग किया जाएगा। 26.60 करोड़ रू. की राशि, जो योजना परिव्यय का 10% है, को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए व्यय किए जाने हेतु निर्धारित निधि को अनिवार्य आवश्यकता के रूप में रखा गया है। आदिवासी उपयोजना का भाग होने के लिए पहचान की गयी तीन स्कीमों नामतः क्षेत्रीय अन्वेषण, विस्तृत ड्रिलिंग और कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा के योजनागत परिव्यय का 8.2% होने के कारण 27.00 करोड़ रू. की राशि आदिवासी उप-योजना के लिए व्यय की जाने वाली अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार पृथक उप-शीर्षों के अंतर्गत रखी गयी है। गैर-योजनागत तथा योजनागत प्रावधानों के ब्यौर और इन आवंटनों के विरुद्ध सम्भावित परिणाम निर्धारित प्रपत्र में **अनुबंध** में दिए गए हैं।

कोयला मंत्रालय विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के लिए 2011-12 का परिणामी बजट									
क्र. स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	2011-12 का परिव्यय			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य / वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियाँ / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर- योजनागत	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	मंत्रालय की कार्य-प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता प्रदान करने के योजनागत प्रावधान है। गैर-योजनागत प्रावधान वेतन तथा भत्तों की अदायगी, कार्यालय खर्चों, चिकित्सा, यात्रा एवं प्रकाशन संबंधी व्ययों की पूर्ति के लिए है।	0.45	13.71	0.00	योजनागत प्रावधान - विशेष रूप से सोल्यूशन्स डिजिटल इमेजिंग की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिक आईटी उपकरणों और आईटी सहायता मुहैया कराना। गैर - योजनागत प्रावधानों के लिए, वास्तविक परिणामों को प्रशासनिक प्रकृति के व्यय के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता है।	मंत्रालय की आईटी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने से अधिक आनलाइन कार्य का वातावरण सृजित करने में सहायता मिलेगी।	-	
2.	सीएमपीएफओ के प्रशासनिक प्रभारों की आर्थिक सहित कोयला खान पेंशन योजना - 1998 (सीएमपीएफओ-98)	सांविधिक अंशदान क) सीएमपी योजना के अंतर्गत सरकारी अंशदान हेतु 18.50 ₹. का प्रावधान किया गया है ख) 10.20 ₹. का प्रावधान सीएमपीएफओ के प्रशासनिक प्रभारों की आर्थिक प्रतिपूर्ति हेतु है।	0.00	28.70	0.00	सीएमपीएफओ-1998 के अधीन सरकार पर यह शशि सांविधिक देयता का घटक है, जो संग्रह का भाग होगा। इसके अलावा, सरकार के लिए सीएमपीएफओ के प्रशासनिक व्ययों के एक भाग को पूरा करना भी अपेक्षित है।	कर्मचारियों को सांविधिक सुस्था लाभ।	सेवानिवृत्ति/सेवा से हटने के बाद लाभ देय है।	

क्र. सं.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	2011-12 का परिव्यय			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियाँ / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	कोयला नियंत्रक का संगठन	योजनागत प्रावधान सांख्यिकीय संग्रह अधिनियम 1953 के अन्तर्गत उत्पन्न विभिन्न सांविधिक कार्यों को निपटाने हेतु अपेक्षित योजनागत पदों के लिए हैं विभिन्न विधानों से उत्पन्न सांविधिक कार्यों को निपटाने के लिए कोयला नियंत्रक के संगठन की स्थापना लागत की पूर्ति हेतु गैर-योजनागत प्रावधान हैं।	0.25	6.31	0.00	योजनागत तथा गैर-योजनागत प्रावधानों के लिए वास्तविक परिणामों को प्रशासनिक प्रकृति के व्यय के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता है।	भारत की कोयला निदेशिका, वार्षिक आधार पर अन्तस्मि सांख्यिकियाँ तथा योजनागत प्रावधानों के लिए मासिक आधार पर कोयला एवं विभिन्न विधानों एवं जैसे कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000, सांख्यिकीय अधिनियम, 1953, कोयला खान (संरक्षण एव विकास) अधिनियम, 1974, कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, 1957 से उत्पन्न विभिन्न सांविधिक कार्यों को निपटाने तथा केटिव कोयला खानों की निगरानी हेतु डाटा संग्रहण और विषलेशन गैर-योजनागत प्रावधानों का निष्कर्ष होगा।	चालू प्रशासनिक व्यय	
4.	कोयला खानों में संरक्षण एवं सुस्था	रेत भरयी / सुस्था कार्य की अंशिक रूप से प्रतिपूर्ति करना	121.11	0.00	0.00	बहु मदों की राशि के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता है	रेत भरई वृद्धित कोयला उत्पादन आग तथा धसाव, कोयला निष्कर्षण में वृद्धि सुनिश्चित करती है।	अधिकांशत चल रही परियोजनाएं, प्रतिपूर्ति आधार पर सहायता अक्टूबर, 2009-मार्च 2010 तक की अवधि के दौरान शुरू किये जाने वाले कार्य के लिए प्रस्तावित है।	

क्र. सं.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	2011-12 का परिव्यय			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियाँ / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास	परिवहन अवसंरचना के विकास की आंशिक प्रतिपूर्ति	22.00 करोड़	0.00	0.00	बहु मदों की राशि के कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता है	कोयले के परिवहन को सुविधाजनक बनाया गया	रेलवे परियोजनाओं को अग्रिमों के अलावा अधिकांश: चल रही परियोजनाएं, प्रतिपूर्ति आधार पर सहायता प्रस्तावित है।	
6.	अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम	प्रौद्योगिकीय/पद्धति का विकास और वाणिज्यिक अनुप्रयोग हेतु उसका सफल अंतरण	10.62	0.00	0.00	<p>1) इस समय 25 परियोजनाएं चल रही हैं, उनमें से 31.12.2010 तक 4 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है और 4 अन्य परियोजनाओं के मार्च, 2011 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है और एक प्रोजेक्ट रोक दी गयी है।</p> <p>2) 2011-12 के दौरान 23 परियोजनाएं चल रही होगी जिनमें से 7 परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने की संभावना है।</p>	<p>मुख्य संभावित निष्कर्ष -</p> <p>1) खान के गड्ढों के पुनरुद्धार के लिए फलाई ऐश विशेषकरण</p> <p>2) फील्ड में ग्रेविडी ब्लाइन्ड बैकफिलिंग तथा प्रीजेमिंग इंजिक्शन मानवण्डों का मूल्यांकन</p> <p>3) कार्बन डाइऑक्साइड के सेक्वेस्ट्रेशन के लिए कोल बेड रिकवरी प्रक्रिया का विकास और इंस्टलमीकरण</p> <p>4) नैयवेली लिग्नाइट का कैटालाइटिक द्रवीकरण</p> <p>5) कोयले से स्वच्छ ईंधनों का जैविकीय उत्पादन</p> <p>6) भूमिगत कोयला खानों में उच्च शक्ति वाले स्टील स्क्रू-बोल्टों का अनुप्रयोग</p> <p>7) कार्बन नैनोफाइबर का प्रयोग करके मिथेन अलार्म सिस्टम के लिए प्रोटोटाइप विकास</p>	<p>कोयला उद्योग अनुसंधान परियोजना सहायता तथा परियोजनाएं आमतौर पर 2 से 4 वर्ष की अवधि की हैं।</p>	<p>चूंकि परियोजनाओं में अनुसंधान कार्य शामिल है, अतः उनके निष्कर्षों का परियोजनाओं के सफलता पूर्वक पूरा हो जाने के बाद ही मूल्यांकन किया जा सकता है।</p>

क्र. सं.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	2011-12 का परिचय			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियाँ / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	कोयला तथा लिग्नाइट का क्षेत्रीय अन्वेषण	राष्ट्रीय सूची में शामिल करने हेतु कोयला तथा लिग्नाइट के अतिरिक्त संसाधनों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय ड्रिलिंग करना। वेब योग्य एकीकृत कोयला तथा लिग्नाइट संसाधन सूचना प्रणाली (आईसीआरआईएस/आईएलआरआईएस) तैयार करना और सीबीएम संसाधनों का मूल्यांकन करना।	62.17	0.00	0.00	1) ड्रिलिंग:- 1.63 लाख मीटर की ड्रिलिंग (कोयला-0.92, लिग्नाइट-0.71) 2) एकीकृत कोयला संसाधन सूचना (आईसीआरआईएस): एकीकृत कोयला संसाधन सूचना पद्धति के सृजन हेतु सभी अन्वेषित ब्लॉकों के डाटा का कम्प्यूटरीकरण। 3) एकीकृत लिग्नाइट संसाधन सूचना (आईएलआरआईएस): के सृजन के लिए सभी अन्वेषित ब्लॉकों के डाटा का कम्प्यूटरीकरण। 4) 10 बोरहोलों में सीबीएम अध्ययन।	1) ड्रिलिंग: - 1.63 लाख मीटर की ड्रिलिंग। 2) जीआर की तैयारी। 3) एकीकृत कोयला संसाधन सूचना पद्धति (आईसीआरआईएस): डाटाबेस, वेब आदि की डिजाइन तैयार की जाएगी। आईसीआरआईएस सर्वर के लिए 8 जोनो से डाटा अपलोड किया जाएगा। 4) एकीकृत लिग्नाइट संसाधन सूचना पद्धति (आईएलआरआईएस): अन्य अभिकरणों द्वारा अन्वेषित ब्लॉकों के बेसिक डाटा को प्राप्त करना तथा अधिकार में लेना; सर्वे संदर्भ बिन्दु का एकीकरण। 5) सीबीएम - 10 बीएच से नमूनों का संग्रहण तथा सीबीएम रिपोर्टों को तैयार करने हेतु विश्लेषण।	1) ड्रिलिंग-कुल ड्रिलिंग को वर्ष में वितरित कर दिया गया। ड्रिलिंग पूर्ण हो जाने तथा ब्लॉक के गुणवत्ता विश्लेषण के बाद जीआर तैयार की जाएगी। 2) एकीकृत कोयला संसाधन सूचना पद्धति (आईसीआर आईएस): 8 जोनो के लिए डाटा माइग्रेशन पूरा किया जाएगा। माइलिंग और एकीकरण जारी किया जाएगा।	1) ड्रिलिंग: वन क्षेत्रों में अन्वेषण की समय पर अनुमति तथा ब्लॉकों में लिग्नाइट होने पर लक्ष्य की उपलब्धि निर्भर होती है। 2) एकीकृत कोयला संसाधन सूचना पद्धति (आईसीआर आईएस): आरडीबीएमएस डिजाइन के लिए कंसलटेन्सी को आउटसोर्स किया गया। 8 जोनों के डाटा के साथ आईसीआरआई एस वेब पृष्ठों को मार्च 2012 तक उपलब्ध हो जाना चाहिए।

											<p>3). एकीकृत कोयला संसाधन सूचना पद्धति (आईसीआरआईएस): जीएसआई की विभागीय रिपोर्ट मुक्त में प्राप्त करने के लिए एनएलसी मामले को सीजीपीबी, एमओसी एवं एमओएम के साथ आगे बढ़ा रही है। एमओएम से स्पष्ट निदेशों के न होने के कारण मामला लम्बित है। बेसिक डाटा संग्रह, सर्वेक्षण एकीकरण एवं जीएसआई ब्लॉकों की माइलिंग प्राप्ति के पश्चात की जाएगी।</p> <p>4) सीबीएम: सीएमपीडीआई तथा जीएसआई, बीबीएम अध्ययन एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्रमशः 6 एवं 4 बोरोहोले से नमूने एकत्र करेंगे।</p>
									<p>3.) एकीकृत लिग्नाइट संसाधन सूचना पद्धति (आईएलआर आईएस): ओयन सीरीज नक्शे (ओएसएस) प्राप्त हो गए हैं और सर्वेक्षण सन्दर्भ बिन्दुओं का एकीकरण किया जाएगा।</p> <p>4) सीबीएम- 2011-12 में ड्रिल किये गये 10बीएच से मुख्य नमूनों का संग्रहण तथा प्रयोगशाला में सीबीएम घटक एवं अन्य मानदण्डों के निर्धारण के लिए डिजार्पसन अध्ययन। कोयला मंत्रालय तथा सीजीपीबी में आवधिक समीक्षाओं के दौरान प्रगति की निगरानी की जाती है।</p>		

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	2011-12 का परिव्यय			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियां / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर - योजनागत	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
8.	पर्यावरण उपाय और धंसाव नियंत्रण	<p>1) आग तथा धंसाव से निपटना एवं बीसीसीएल में बेकार भूमि का पुनरुद्धार।</p> <p>2) ईसीएल में गावों के नीचे अगम्य जलमग्न गड्ढों का स्थिरीकरण।</p> <p>3) बीसीसीएल के सर्वाधिक खतरे वाले क्षेत्रों से लोगों का स्थानान्तरण तथा ईसीएल के अस्थिर स्थानों का पुनर्स्थापन।</p> <p>4) बीसीसीएल में रेलवे लाइनों तथा जोरों के संरक्षण के लिए आग से निपटने तथा आग और धंसाव का नियंत्रण।</p>	50.58	0.00	0.00	<p>1) आग तथा धंसाव से निपटने की दो योजनाएं और बीसीसीएल में बेकार भूमि के पुनरुद्धार की एक योजना।</p> <p>2) ईसीएल में जलमग्न के अगम्य गड्ढों के स्थिरीकरण की नौ योजनाएं।</p> <p>3) बीसीसीएल में लोगों को स्थानान्तरित करने की एक योजना और ईसीएल में चार अस्थिर स्थानों के पुनर्स्थापन की एक योजना।</p> <p>4) बीसीसीएल में आग से निपटने की तीन योजनाएं।</p>	<p>रानीगंज कोलफील्डों में पुराने, जलमग्न धंसाव का नियंत्रण, झरिया कोलफील्ड में आग तथा धंसाव नियंत्रण और रानीगंज, झरिया, करनपुरा आदि जैसे पुराने कोलफील्डों में खनित क्षेत्रों का पुनरुद्धार।</p> <p>बीसीसीएल के अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्रों से लोगों को स्थानान्तरित करने हेतु 4600 मकानों का निर्माण।</p>	<p>क) कालम 5 के अंतर्गत मद (1) में आग तथा धंसाव की एक योजना के पूर्ण होने की समय-सीमा जून, 2006 थी। यह योजना संशोधनाधीन है। आग तथा धंसाव की एक अन्य योजना 2009-10 में पूरी हो गयी है। बीसीसीएल बोर्ड ने 4.4.09 को हुई अपनी 363वीं बैठक में पूर्णता रिपोर्ट को अनुमोदित किया। कालम 5 के अधीन मद (1) की एक पुनरुद्धार योजना, जिसके 2008-09 के दौरान पूर्ण होने की समय-सीमा थी, प्रगति पर है।</p> <p>ख) कालम 5 के अधीन मद (2) में एक योजना, जिसके 2008-09 के दौरान पूरा होने की संभावना थी, प्रगति पर है। शेष योजनाओं में से सात योजनाओं के 2009-10 में और एक योजना के 2010-11 में पूर्ण होने की संभावना</p>	<p>सरकार ने विभिन्न पर्यावरणीय उपायों तथा धंसाव नियंत्रण (ईएमएससी) योजनाओं के लिए पहले से स्वीकृत 116.23 करोड़ रु. सहित 9773.84 करोड़ रु. (झरिया कोलफील्ड (जेसीएफ) के लिए 7112.11 करोड़ रु. तथा रानीगंज कोलफील्ड (आरसीएफ) के लिए 2661.73 करोड़ रु. के अनुमानित पूंजी निवेश से 12.8.2009 को</p>

							<p>है।</p> <p>ग) कालम 5 के अंतर्गत मद (3) के अनुसार बीसीसीएल में योजना के पूर्ण होने की समय-सीमा मार्च, 2009 थी, परन्तु यह अभी प्रगति पर है इसीएल की योजना के 2010-11 में पूर्ण होने की संभावना है।</p> <p>घ) कालम 5 के अंतर्गत मद (4) की एक योजना के 2008-09 में पूर्ण होने की संभावना थी। यह योजना बंद होने की प्रक्रिया में है। कालम 5 में मद (4) की दूसरी योजना के 2009-10 में और तीसरी योजना के 2010-11 में पूर्ण होने की संभावना है।</p>	<p>भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) तथा ईस्टर्न कोलफील्ड लिं (ईसीएल) के लीज-होल्ड के अन्धर आग, धंसाव तथा पुनर्वास से निपटने और सतही अवसंरचना के परिवर्तन के मास्टर प्लान को अनुमोदित किया है। सभी ईएमएससी योजनाएं आग, धंसाव तथा पुनर्वास से निपटने और सतही अवसंरचना के मास्टर प्लान के भाग हैं।</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

क्र.स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	2011-12 का परिव्यय			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियाँ / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर-योजनागत	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
9.	गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत अन्वेषण	क्षेत्रीय अन्वेषण के दौरान पता लगाए गए निर्विष्ट/अनुमानित संसाधनों को सिद्ध करने हेतु डाटा सृजित करने के लिए विस्तृत ड्रिलिंग करना और भू-गर्भीय रिपोर्टों को तैयार करने में उसका उपयोग करना ताकि व्यवहार्यता अध्ययन और परियोजना रिपोर्ट तैयार हो सकें।	99.22	0.00	0.00	गैर-सीआईएल ब्लॉकों में 1.96 लाख मीटर ड्रिलिंग (विभागीय 0.56 लाख मीटर तथा आउटसोर्सिंग 1.03 लाख मी.)	1) वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार 1.96 लाख मी. ड्रिलिंग 2) जीआर तैयार करना।	वर्ष में 1.96 लाख मीटर ड्रिलिंग को वितरित किया गया। ब्लॉक में ड्रिलिंग तथा कोटिपरक विश्लेषण के पूर्ण हो जाने के बाद जीआर तैयार की जाएगी। कोयला मंत्रालय तथा सीजीपीबी में आवधिक समीक्षाओं के दौरान प्रगति की मानिट्रिंग की जाती है।	3)आउटसोर्सिंग के माध्यम से वास्तविक ड्रिलिंग निविदा के जरिए पार्टियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2)लक्ष्यों की उपलब्धि अधिकांशतः वन क्षेत्रों के अन्वेषण की अनुमति पर निर्भर होगी।
10.	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	मंत्रालय का 10% बजट का खर्चा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुनिश्चित करने हेतु।	26.600	0.00	0.00	मात्रा निर्धारित नहीं	ड्रिलिंग	पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में कोयला अन्वेषण	

क्र.स.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	2011-12 का परित्यय			मात्रात्मक आपूर्तियोग्य वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियाँ / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर - योजनागत	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
11	टीएसपी के लिए एकमुश्त प्रावधान	मंत्रालय का 8.2% बजट व्यय टीएसपी के लिए सुनिश्चित करने हेतु	27.00	0.00	0.00	मात्रा निर्धारित नहीं	खानों की ड्रिलिंग और संरक्षण	आदिवासी क्षेत्रों में कोयला अन्वेषण और खानों का संरक्षण	
12.	कोयलाधारी क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु मुआवजे का भुगतान	भू-वंचितों को मुआवजे का भुगतान	0.00	30.00	0.00	कोयलाधारी क्षेत्रों (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन अधिग्रहित भूमि से कोयले का निष्कर्षण किया जाता है जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है।	यह एक सांविधिक आवश्यकता है।	2010-11	सीआईएल द्वारा सरकार के पास अग्रिम रूप से राशि जमा करने के बाद भुगतान किया जाता है। (दिस. 2010 तक 229616927.00 रु. की राशि जारी की गयी)

क्र.सं.	योजना / कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य / परिणाम	2011-12 का परिचय		मात्रात्मक आपूर्तियोग्य वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया की समय-सीमा	टिप्पणियाँ / जोखिम कारक
			योजनागत	गैर - योजनागत				
13.	सार्वजनिक उद्यम निवेश में	सीआईएल-उत्पादन 338.53 मिलियन टन एससीसीएल-उत्पादन 35.30 मि.ट. एनएलसी उत्पादन लिग्नाइट - 16.42 मि.ट. और विद्युत-12731 मि.यूनिट (एमयू)(ये सभी आंकड़े दिसम्बर,2010 तक के हैं)	0.00	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधन (आईबीआर)- सीआईएल - 4220.00 एससीसीएल- 2804.30 एनएलसी - 1858.55	परियोजनाओं का कार्यान्वयन। लिग्नाइट का उत्पादन, ओवरबर्डन स्मूवल और विद्युत उत्पादन।	कोयला उत्पादन 553.16 मि.ट., लिग्नाइट उत्पादन 23.95 मि.ट., तथा विद्युत उत्पादन 18576 मि.यूनिट का अनुमान लगाया गया है।	क. पूर्ण हुई और चालू परियोजनाएं (1)लिग्नाइट उत्पादन (2) विद्युत उत्पादन (3) कोयला उत्पादन (4) ओवर बर्डन स्मूवल (5) प्रेषण ख. स्वीकृत परियोजना रिपोर्ट (पीआर) के अनुसार नयी परियोजनाओं का कार्यान्वयन तिमाही कार्य निष्पादन समीक्षा (क्यूपीआर) के दौरान वार्षिक उत्पादन लक्ष्यों को तिमाही आधार पर मानीटर किया गया और 100 करोड़ रु. से अधिक लागत की परियोजनाएं तिमाही आधार पर मानीटरिंग की जा रही हैं।	औद्योगिक संबंध, कानून और व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, वानिकी और पर्यावरणीय मंजूरी, खाली कराने की पद्धति, (रेलवे) आकस्मिक भूगर्भीय हलचल, खान दुर्घटनाएं और आपदाएं तथा उपकरणों की खरीद में विलम्ब।